यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय राजकीय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान, पिथौरागढ़** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय राजकीय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान, पिथौरागढ़ के माह 11.2015 से 05.2018 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, तथा श्री अनुज कुमार सिंघल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (त.) द्वारा दिनांक 16.06.2018 से 21.06.2018 तक श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

<u>भाग</u>-।

1). परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रामप्रीत, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री सुधीर कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री शैलेंद्र कुमार, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 03.11.15 से 06.11.15 तक श्री दानिश इकबाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 05/2008 से 10/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 11/2015 से 05/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2). (i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः इकाई जनपद मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, इकाई द्वारा रोजगार परक व्यवसायो जैसे फिटर, कोपा आदि मे प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तथा कौशल दक्षता हेतु निकटवर्ती स्थानो मे विभिन्न कम्पनियों/ प्रतिष्ठानों मे सम्पर्क कर अप्रेंटिस हेतु भेजा जाता है। इकाई के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र मे संस्थान के अधीन संचालित आईटीआई के क्षेत्र शामिल है।

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
		स्थापना	गैर-स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
1	2015-16	शून्य	शून्य	195.31	185.32	50.86	37.54	-	23.31
2	2016-17	शून्य	शून्य	226.28	225.18	55.92	50.07	-	6.95
3	2017-18	शून्य	शून्य	272.81	267.62	156.36	119.38	-	42.17

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

लागू नही

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि	अधिक्य(+)/ बचत(-)	ब्याज
2015-16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2016-17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2017-18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

iii). इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना अनुदान संख्या 16 के अंतर्गत, निदेशालय प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, हल्द्वानी द्वारा किया जाता है। गैर-स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

a). प्रमुख सचिव, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन , उत्तराखंड, देहरादून

b). निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

c). अपर निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

d). उप निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

e). प्रधानाचार्य, राजकीय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान, पिथौरागढ़

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 11.2015 से 05.2018 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए **कार्यालय राजकीय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान, पिथौरागढ़** के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी । यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय राजकीय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान, पिथौरागढ़** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03.2016 एवं 03.2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया । प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-1:- धनराशि रु 205.69 लाख का अनियमित व्यय।

कार्यालय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान, पिथौरागढ़ हेतु निदेशालय स्तर से विभिन्न चरणों मे केन्द्रीय क्रय (Central Purchase)के माध्यम से मशीनों एवं उपकरणो का क्रय किया गया। मशीनों एवं उपकरणो के क्रय आदेश हेतु संस्थान से मांग पत्र (demand letter/ shortage of tools & machine) मँगवाए गए जिसके आधार पर मशीनों एवं उपकरणो का क्रय डीजीएसएनडी दरो पर विभिन्न मैसेर्स/supplier/फ़र्मों से केन्द्रीय क्रय कर औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान, पिथौरागढ़ को वितरित किए गए थे।
कार्यालय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान, पिथौरागढ़ के नियंत्रणाधीन प्रशिक्षण संस्थानो के मशीनों एवं उपकरणो सबंधित पत्रावली की जांच मे निम्नलिखित विसंगतिया पायी गयी:-

1. औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान, देवलथल, जिसकी स्थापना शासनादेश संख्या 365/XLI-1/11/प्रशि.-49/11, दिनांक 12.12.2011 को हुई थी के लिए धनराशि रु 56.32 लाख के उपकरणो एवं मशीनों का क्रय किया गया जबकि संबन्धित सस्थान विगत वर्षो मे कभी संचालित नही पाया गया एवं उक्त संस्थान हेतु वर्ष 2014 मे पद स्वीकृत होने के बावजूद वर्तमान मे कोई भी अनुदेशक तथा स्टाफ की नियुक्ति नही की गयी अर्थात धनराशि रु 56.32 लाख के उपकरणो एवं मशीने अपनी क्रय तिथि (2014) से अक्रियाशील पड़ी हुई थी। वर्तमान मे उक्त सस्थान हेतु कोई भवन भी उपलब्ध नही है। आगे जांच मे पाया गया की संबन्धित उपकरणो एवं मशीनों के लिए प्रेषित मांग पत्र बिना अनुदेशकों/समिति के अनुमोदन के जारी किए गए तथा उक्त मशीनों एवं उपकरणो को अन्य सस्थानों को हस्तांतरित किए जाने हेतु कोई प्रयास इकाई द्वारा नही किया गया जिस कारण धनराशि रु 56.32 लाख की सामाग्री अप्रयुक्त पड़ी हुई थी।

2. औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान-गौड़ीहाट, औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान-गुरना एवं औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान-मुनस्यारी हेतु स्वीकृत व्यवसाय क्रमश: मोटर मैकेनिक, फिटर, मशीनिष्ट हेतु वर्ष 2014 मे धनराशि रु 75.86 लाख के मशीनों एवं उपकरणो का क्रय निदेशालय स्तर से किया गया जबकि संबन्धित संस्थानो मे अनुदेशक नही होने के कारण उक्त व्यवसायो को वर्ष 2014 से संचालित नही किया गया। आगे जांच मे पाया गया कि उक्त संस्थानो मे गौड़ीहाट एवं गुरना सस्थान को पत्रांक 55/XLI-1/14-18(प्रशि)/2014 एवं 51/XLI-1/14-17(प्रशि)/2014 द्वारा दिनांक 21.02.14 को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कि गयी तदनुसार उक्त संस्थानो हेतु पदो का स्रजन वर्ष 2015 मे किया गया जबकि संस्थानो हेतु मांग पत्र वर्ष 2014 मे ही जारी कर दिये गए। वर्ष 2015 मे पद स्वीकृत होने के बावजूद उक्त व्यवसायो मे कोई भी अनुदेशक की नियुक्ति नही की गयी और वर्तमान संबन्धित सामाग्री निष्प्रयोज्य अवस्था मे स्टॉक मे पड़ी हुई है संस्थान किराए/ अन्यत्र स्थानो पर चलाये जा रहे थे तथा सस्थान हेतु स्वयं का भवन भी उपलब्ध नही है। आगे जांच मे पाया गया की संबन्धित उपकरणो एवं मशीनों के लिए प्रेषित मांग पत्र बिना अनुदेशकों/समिति के अनुमोदन के जारी किए गए तथा उक्त मशीनों एवं उपकरणो को अन्य सस्थानों को हस्तांतरित किए जाने हेतु कोई प्रयास इकाई द्वारा नही किया गया जिस कारण धनराशि रु 79.88 लाख की उपकरण एवं मशीने अप्रयुक्त पड़ी हुई थी।

3. औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान पिथौरागढ़ के तहत संचालित संस्थानो मे स्वीकृत व्यवसायो की विगत तीन वर्षो की आनरोल स्थिति(प्रवेश पत्रावली) की संवीक्षा के उपरान्त पाया गया कि फिटर व्यवसाय संस्थानो-मढ़मानवे,

बढ़ावे, जाखपुरान, पांखू एवं बनकोट मे नियमित रूप से संचालित नही था तथा उक्त संस्थानो हेतु वर्ष 2014 मे धनराशि रु 42.35 लाख के उपकरणो एवं मशीनों का क्रय निदेशालय स्तर से किया गया। फिटर व्यवसाय मे अनुदेशकों की नियुक्ति नही होने एवं व्यवसाय मे प्रशिक्षु उपलब्ध नही होने के कारण संस्थानो मे व्यवसाय संचालित नही पाये गए। उक्त सभी संस्थान किराए के भवनो मे संचालित पाये गए। उक्त धनराशि ₹ 42.35 लाख के उपकरणो एवं मशीनों को निष्प्रयोज्य अवस्था मे स्टॉक मे पड़ा हुआ पाया गया साथ ही उक्त मशीनों एवं उपकरणो को अन्य सस्थानों को हस्तांतरित किए जाने हेतु कोई प्रयास इकाई द्वारा नही किया गया, जिस कारण धनराशि रु 42.35 लाख की उपकरण एवं मशीने अप्रयुक्त पड़ी हुई थी।

4. सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम संख्या 140 तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम 10(2) के अनुसार मंत्रालयों या विभागो को सामाग्री क्रय के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करने के लिए पूरी शक्तिया प्रत्यायोजित की गयी है, तथापि यदि किसी मंत्रालय या विभाग के पास अपेक्षित विशेषज्ञ न हो तब वित्त विभाग की सहमति से डीजीएसएनडी को अपना मांग पत्र प्रस्तुत कर सकता है। उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली के नियम 6(1) के अनुसार डीजीएसएनडी से अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओ को पंजीकृत आपूर्तिकर्ता कहा जाएगा तथा नियम 12(3) के तहत यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए की प्रतिस्पर्धा के आधार पर अधिक अनुक्रियाशील अधिकतम अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओ को चिन्हित किया जाए। ऐसे आपूर्तिकर्ताओ को चिन्हित करने के लिए विज्ञापन, व्यापक परिचालन वाले प्रकाशनों, राष्ट्रीय समाचार पत्रो और संबन्धित आपूर्तिकर्ताओं के विभिन्न वेबसाइटो का उपयोग किया जा सकता है।

उक्त नियमो के परिप्रेक्ष्य मे कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान पिथौरागढ़ को जन जाति क्षेत्र उपयोजना के तहत अनुदान संख्या 031, लेखाशीर्ष 2230-03-796-03-01 वर्ष 2015-16 मे अन्य मद मे कार्यालय साज सज्जा, मशीन एवं टूल्स पर किए गए व्यय का लेखा परीक्षण किया गया। परीक्षण मे संबन्धित सामग्रियों के क्रय पद्यति का निर्णय उनके निदेशालय द्वारा लिया गया जिसकी पत्रावली का रखरखाव यूनिट मे अप्रस्तुत पाया गया, परन्तु डीजीएसएनडी से अनुमोदित आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति आदेश तथा उनके भुगतान की कार्यवाही यूनिट स्तर से पूरी करायी गयी। इस प्रकार कुल रु 30.74 लाख की सामाग्री आपूर्तिकर्ता Ridam Enterprises से क्रय किए जाने का प्रकरण पाया गया तथा नियमो के तहत डीजीएसएनडी से अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओ के बीच प्रतिस्पर्धा के आधार पर यथासंभव अधिकतम अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओ विषयक कोई अभिलेख यूनिट की लेखापरीक्षा मे नही पाया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा उक्त प्रकरणो पर इंगित किए जाने पर उत्तर मे बताया गया कि देवलथल संस्थान का संचालन अभी तक नही किया गया तथा संस्थान के संचालन हेतु निरन्तर प्रयास किए जा रहे है। संस्थान गौड़ीहाट, गुरना एवं मुंस्यारी के संबंध मे संबन्धित व्यवसायो के संचालन हेतु प्रयास निदेशालय से किया जा रहा है, संबन्धित संस्थानो की मशीने एवं उपकरण मुख्य संस्थान (पिथौरागढ़) मे रखे गए है। संस्थान मढ़मानवे, बढ़ावे, जाखपुरान, पांखू एवं बनकोट के संदर्भ मे इकाई ने बताया कि सभी संस्थान किराए के भवनो मे संचालित है विगत सत्र से उक्त संस्थान संचालित किए गए थे किन्तु संचालन हेतु अनुदेशकों के कार्य छोडने के कारण संबन्धित व्यवसाय असंचलित स्थिति मे आ गए जिन्हें आगामी सत्र मे संचालित किया जाएगा। तथा मशीनों एवं उपकरणो को व्यवसाय वार उपयोग नही किए जाने पर इकाई ने बताया की नवसर्जित संस्थानो मे नियमित अनुदेशक न होने के कारण उपकरण एवं मशीनों को संबन्धित व्यवसायो को हस्तांतरित नही किया गया। उत्तर संतोषप्रद नही पाया गया क्योकि संस्थानो मे नियमित अनुदेशकों कि

नियुक्ति नही होने के कारण संबन्धित व्यवसायो/संस्थान विगत वर्षो मे असंचालित पाये गए तथा संबन्धित मशीनों एवं उपकरणो को क्रय कर स्टाक मे रखा गया एवं प्रशिक्षुयों हेतु उपयोग मे नही लाया गया।

क्रम संख्या 04 के संबंध में इकाई द्वारा उत्तर दिया कि डीजीएसएनडी से क्रय निदेशालय के निर्देशानुसार किया गया। उत्तर मान्य नही है, क्योकि नियमतः डीजीएसएनडी से क्रय करने के पूर्व इकाई को अपेक्षित विशेषज्ञता न होने का प्रमाण पत्र के आधार पर वित्त विभाग की सहमति से अपना मांग पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था तथा प्रतिस्पर्धा के आधार पर अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओ मे से अधिकतम अनुक्रियाशील आपूर्तिकर्ता का चयन का प्रयास कर शासकीय हित मे निर्णय लेना चाहिए था जो लेखापरीक्षा मे नही पाया गया।

अतः धनराशि रु 174.95+30.74=205.69/-लाख का अनियमित व्यय प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-2- धनराशि रु. 28,594 का वेतन एवं भत्तों के रुप में अधिक भुगतान।

वेतन संबंधी अभिलेखों एवं सेवा पुस्तिका की जांच के दौरान प्रकाश में आया कि श्री योगेश चन्द्र (कार्यशाला परिचर) का जनवरी 2017 को मूल वेतन रु. 20500 था परंतु उक्त कर्मचारी को रु. 21100 की दर से भुगतान किया गया एवं वार्षिक वृद्धि के पश्चात जुलाई 2017 से मूल वेतन रु. 21100 होना चाहिए परंतु उक्त कर्मचारी को रु. 21700 की दर से भुगतान किया जा रहा है। इस प्रकार उक्त कर्मचारी को लेखापरीक्षा तिथि तक कुल रु. 10,704 का अधिक भुगतान किया गया।

इसी प्रकार पाया गया कि सुनील कुमार पाण्डेय (भण्डार परिचर) का जनवरी 2017 को मूल वेतन रु. 33900 था परंतु उक्त कर्मचारी को रु. 34900 की दर से भुगतान किया गया एवं वार्षिक वृद्धि के पश्चात जनवरी 2018 से मूल वेतन रु. 34900 होना चाहिए। परंतु कर्मचारी को रु. 35900 की दर से भुगतान किया जा रहा है। इस प्रकार उक्त कर्मचारी को लेखापरीक्षा तिथि तक कुल रु. 17,890 का अधिक भुगतान किया गया इस प्रकार उक्त दोनों कर्मचारियों को लेखापरीक्षा तिथि तक कुल रु. 28,594 का अधिक भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि प्रकरणों की जांच कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

अतः प्रकरण पुनः गणना एवं जांच हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाये जाने हेतु प्रस्तुत है।

<u>भाग-दो (ब)</u>

प्रस्तर-3- विभागीय उदासीनता के कारण धनराशि रु 205.08 लाख का अपूर्ण निर्माण कार्य एवं संबन्धित धनराशि कार्यदायी संस्था के पास विगत चार वर्षो से अवरुद्ध पाया जाना।

शासनादेश संख्या 544/XVIII-(2)/F/14-12(10)/2014, दिनाक 31.03.2014 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न जनपदो हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 मे एसपीए(आर) के तहत चयनित 32 राजकीय औधोगिक प्रशिक्षण संस्थानो के सिविल/ निर्माण कार्यो हेतु कुल धनराशि रु 1517.50 लाख स्वीकृत किए गए। कार्यालय के निर्माण कार्यो संबन्धित पत्रावली कि जांच के दौरान पाया गया कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, थल एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बड़ावे हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 मे क्रमशः धनराशि रु 88.87 लाख एवं 116.21 लाख भवन निर्माण हेतु अवमुक्त कि गयी थी। निर्माण कार्यो हेतु कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम का चयन किया गया। कार्यदायी संस्था को वर्तमान तक समस्त धनराशि रु 205.08 लाख (88.37+116.21) एक मुस्त किश्त के रूप मे प्रदान किया गया। संबन्धित निर्माण पत्रावली एवं मासिक भौतिक एवं वित्तीय रिपोर्ट मार्च 2018 की जांच से ज्ञात हुआ कि उक्त निर्माण कार्यो हेतु क्रमश धनराशि रु 1.22 एवं 1.02 लाख का व्यय किया गया था तथा लेखापरीक्षा तिथि तक दोनों भवनों की भौतिक प्रगति शून्य पायी गयी। आगे जांच मे पाया गया कि उक्त शासनादेश के अनुसार उक्त संस्थानो का चयन भूमि कि उपलब्धता के कारण किया गया था एवं दिशानिर्देशों के अनुसार दूसरी किश्त उस दशा मे अवमुक्त कि जाए जब उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग द्वारा उपलब्ध करा दिया जाए।

आगे जांच मे पाया गया कि कार्यालय के पत्रांक भूमि भवन थल -2015/02 दिनांक 16.02.2015 से स्पष्ट है कि भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्धता संबन्धित प्रस्ताव शासन को प्रेषित नही किया गया था तथा संस्थान थल हेतु भूमि रजिस्ट्री दिनांक 01.09.2016 को किए जाने के बावजूद पत्रांक भूमि भवन/थल/2018/97-99,दिनांक 23.01.2018 के अनुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ नही किया गया। इसी प्रकार कार्यालय के पत्रांक स्था॰/भूमि/बडावे/2014/359-60, दिनांक 03.09.2014 से स्पष्ट है कि भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्धता नही थी तथा इसी क्रम मे शासनादेश संख्या1345/XXIV-3/15/02(167)2015, दिनांक 18.09.2015 द्वारा आईटीआई हेतु राजकीय इंटर कालेज बड़ावे की भूमि को संस्थान बडावे को निशुल्क हस्तांतरण किए जाने संबन्धित निर्देश जारी किए गए। दिनांक 24.01.2018 के अनुसार निर्माण कार्य लम्बित पाया गया। शासनादेश 351/XLI-1/14-51(प्रशि॰)/2014, दिनांक 26.08.2014 भूमिविहीन संस्थानो की सूची जिलेवार प्रेषित की गयी थी जिसमे उक्त दोनों संस्थानो को भूमिविहिन दर्शाया गया। जांच मे आगे अवलोकित हुआ कि शासनादेश 544/XVIII-(2)/F/14-12(10)/2014, का उल्लंघन करते हुये न केवल धनराशि 205.08 लाख को एक मुश्त रूप मे कार्यदायी संस्था को अवमुक्त किया गया बल्कि भूमि सुनिश्चता किए बिना विगत कई वर्षो से धनराशि कार्यदायी संस्था के पास अवरुद्द पड़ी हुई थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर मे बताया कि “संस्थानो के भवन निर्माण हेतु बजट आवंटन से पूर्व संस्थानो मे भूमि का चयन कर लिया गया था, किन्तु चयनित भूमि का अन्तिम आवेदन होने से पूर्व वैधानिक बाध्यता एवं प्रक्रियाओ मे परिवर्तन के कारण संस्थानो हेतु भूमि प्राप्त होने मे विलम्ब हुआ एवं शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है”।

उत्तर मान्य नही क्योकि इकाई के उत्तर से यह स्पष्ट है कि निर्माण कार्य संस्थानो को भूमि सुनिश्चता नही किए जाने के कारण वर्तमान तक अपूर्ण पाये गए तथा शासनादेश के विरुद धनराशि रु 205.08 लाख कार्यदायी संस्था के पास विगत चार वर्षो से अवरूद पड़ी है अर्थात उक्त संस्थानो का चयन करते समय शासनादेश का उल्लंघन किया गया।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN	TAN
119/2015-16	-	1,2	1	
36/2008-09	1,2	1,2,3	-	
80/2001-02	-	1,2,3,4	-	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
119/2015-16	(ब)- 1,2 STAN- 1	-		इकाई द्वारा निर्धारित प्रारूप में उचित माध्यम से अनुपालन आख्या शीघ्र प्रेषित करने की बात कही गयी ।
36/2008-09	(अ)- 1,2 (ब)- 1,2,3	-		
80/2001-02	(ब)- 1,2,3,4	-		

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..... शून्य .....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय, राजकीय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान, पिथौरागढ़** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेख: शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	पदनाम	अवधि
श्री वी॰ के॰ चौधरी	प्रधानाचार्य रा॰ औ॰ प्र॰ स॰ पिथौरागढ़	विगत लेखापरीक्षा (10/2015) से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय, राजकीय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान, पिथौरागढ़** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून 248195" को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र